

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
भूमि और विकास कार्यालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(21)/86-सीडीएन

दिनांक:- 1.7.89

**कार्यालय आदेश सं. 10/89**

विषय:- दिल्ली/नई दिल्ली में फिलिंग और फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशनों के लिए भूमि किराए का परिशोधन।

एतद्वारा उल्लिखित विषय पर शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 10.7.89 के पत्र सं. जे-22011/3/86-एलडी (डीओआई) की प्रति, सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

(कृष्ण गोपाल)  
जन संपर्क अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग।

सं. ....  
भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
(भूमि प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक:- 10 जून, 989

सेवा में,

1. भूमि और विकास अधिकारी (5 प्रतियां)  
निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. उपाध्यक्ष (5 प्रतियां)  
दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(विकास मीनार, नई दिल्ली)

विषय:- दिल्ली/नई दिल्ली में फिलिंग और फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशनों के लिए भूमि किराए का परिशोधन।

\*\*\*\*\*

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 4 दिसंबर, 1986 के पत्र सं. जे-22011/3/86-एलडी (डीओआई) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 23 नवंबर, 1970 के पत्र सं. जे-13028/5/73-एल I के पैराग्राफ 3 (ii) में यथा निर्धारित पेट्रोल के लिए एक फिलिंग प्वाइंट और डीजल के लिए एक फिलिंग प्वाइंट के अलावा प्रत्येक प्वाइंट के लिए भूमि किराये का 12.5% प्रभारित करने के लिए शर्त का निपटान कर दिया गया है। जब तक कुल अनुमत एफएआर का पालन किया जाता है, अतिरिक्त उप-प्रभार लगाए जाने की जरूरत नहीं है। तथापि, अतिरिक्त एफएआर का उपयोग शामिल है, तो आनुपातिक रूप से उप-प्रभार लगाया जाएगा।

2. कथित पत्र के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अन्य शर्तें और इस मंत्रालय के दिनांक 4 दिसंबर, 1986 के समसंख्यक पत्र में अधिसूचित दरें 30 सितंबर 1989 तक लागू रहेंगी।

3. इसे वित्त प्रभाग द्वारा उनके दिनांक 8 जून, 1989 के यू.ओ. सं. 296-एफडी(एल)/89 के जरिये दी गई सहमति से जारी किया गया है।

भवदीय,

ह/-

(एन. राजगोपालन)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. लेखापरीक्षा निदेशक, सीडब्ल्यूएण्डएम, एजीसीआर बिल्डिंग, नई दिल्ली।
2. वित्त प्रभाग (भूमि इकाई), शहरी विकास मंत्रालय।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (2 प्रतियां)।
4. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, भूमि और बिल्डिंग विभाग, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, आई. पी. भवन, नई दिल्ली (2 प्रतियां)।
6. प्रशासक, नई दिल्ली नगर समिति, टाउन हॉल, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हॉल, दिल्ली।
8. दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय (5 प्रतियां)।
9. भूमि प्रभाग के सभी डेस्क अधिकारी।
10. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री।
11. निजी सचिव, सचिव/निजी सचिव, अपर सचिव।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एलआई)
13. निजी सचिव, उप सचिव (एल)
14. अतिरिक्त प्रतियां- 10 प्रतियां।

ह/-

(एन. राजगोपालन)

अवर सचिव, भारत सरकार